संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक / 9 / नर्सिंग / सेल–1 / एफ–26 / 2014 / 747 भोपाल, दिनांक : 30/7/2014

-: आदेश :-

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में पंजीबद्ध अवमानना प्रकरण क्रमांक ड्ब्ल्यू.पी. 450 / 2012 कुमारी संतोष कौर विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन के प्रकरण में निर्णय के पालन में कुमारी संतोष कौर पब्लिक हेल्थ ट्यूटर के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की पुनरीक्षित डी.पी.सी. की गयी। कुमारी संतोष कौर को माननीय न्यायालय के निर्णय के पालन में पदोन्नति सिस्टर ट्यूटर / पब्लिक हेल्थ ट्यूटर के पद पर पुनरीक्षित 6 वॉ. वेतनमान, वेतन बैंड पी.बी. 1 रूपयें 5200–20200 + ग्रेड पे 2800 में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से नवीन पदस्थापना में नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर पदस्थ किया जाता है।

उन्हें पदोन्नति उपरांत पदस्थापना स्थान पर दिनांक 14.08.2014 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा, नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् ही पदोन्नति प्रभावशील होगी।

1. अनारक्षित वर्ग :–

क	कर्मचारी का नाम	जाति	स्टॉफ नर्स के पद पर प्रथम नियुक्ति दिनांक	पदस्थापना स्थल का नाम	पात्रता का वर्ष	पदोन्नति पश्चात् पदस्थापना स्थान
1	संतोष कौर	GEN	27/06/1986	जिला चिकि. मंदसौर	1988	एम.पी.ड्ब्ल्यू., मन्दसौर

1. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) सामन्य प्रशासन विभाग भोपाल द्वारा प्रकाशित दिनांक 11.6.2002 के तहत् निर्धारित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी निर्देशों का पालन किया गया है।

2. पदोन्नत सिस्टर ट्यूटर को कार्यमुक्त करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे कि संबंधित के विरूद्ध विभागीय जांच / लोकायुक्त / न्यायालयीन प्रकरण / अनाधिकृत अनुपस्थिति / निलंबित इत्यादि कोई प्रकरण किसी भी स्तर पर लंबित हो तो उन्हें कार्यमुक्त / कार्यभार न कराते हुए, इसकी सूचना तत्काल संचालयनालय को भेजे। यह भी सुनिश्चित कर ले कि पदोन्त्त कर्मचारी आदेश में दर्शायी गयी श्रेणी का ही है यह उनकी सेवापुस्तिका से पुष्टि कर लें, तद्उपरांत ही पदोन्नति पर उपस्थित करायें।

3. उपरोक्त पदोन्नत सिस्टर ट्यूटर के प्रथम नियुक्ति दिनांक / वर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांक एवं जाति के संबंध में संबंधित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका से पुष्टि पश्चात् ही इन्हें पदोन्नति पद हेतु कार्यमुक्त / उपस्थित कराने की जिम्मेदारी पदस्थापना स्थल के अधिकारियों की होगी। प्रविष्ठि में किसी भी प्रकार की त्रुटि / भिन्नता होने की स्थिति में तत्काल पूर्ण अभिलेख सहित संचालनालय को अवगत करायें।

4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक/मन्दसौर की ओर भेजकर लेख है कि पदोन्नत कर्मचारी को समयावधि में उपस्थित करावें। इसकी जानकारी संयुक्त संचालक नर्सिंग / उपसंचालक नर्सिंग को तत्काल उपलब्ध करावें।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

30/7/14

(डॉ. बी. के. मिश्रा)
संयुक्त संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र. 9/नर्सिंग/सेल–1/एफ–26/2014/ भोपाल, दिनांक : /7/2014

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
4. अपर संचालक प्रशासन / एच.एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि आदेश की प्रति विभाग की वेबसाईट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
5. विभागीय अध्यक्ष पदोन्नति चयन समिति, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं उज्जैन।
7. उपसंचालक लीगल शाखा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मन्दसौर।
9. संबंधित की ओर भेजकर लेख है कि आप शीघ्र कार्यमुक्त होकर तत्काल पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर उपस्थिति रिपोर्ट की एक प्रति संयुक्त संचालक नर्सिंग / उपसंचालक नर्सिंग को भेजे।
10. आदेश नस्ति – 2014

(डॉ. बी. के. मिश्रा)
संयुक्त संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश